भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2365

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

हरियाणा में विद्युत आपूर्ति

2365. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 24x7 विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित, हरियाणा के किन-किन जिलों में 24x7 विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ग) उक्त जिलों के उन ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सबसे कम विद्युत आपूर्ति की जाती है; और

(घ) सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम 10 में वितरण लाइसेंसधारियों को कृषि जैसी विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर, जहां विद्युत विनियामक आयोग कम आपूर्ति घंटों की अनुमति दे सकता है, सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों या शहरी क्षेत्रों में।

(ख), (ग) और (घ) : हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनीपत जिले और जींद जिले के कुछ हिस्से वाले सोनीपत संसदीय क्षेत्र सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आपूर्तित विद्युत का जिले-वार विवरण **अनुबंध** पर है:

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2365

अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूएचबीवीएन एवं डीएचबीवीएन (हरियाणा) की ग्रामीण घरेलू (आरडीएस) और शहरी आपूर्ति श्रेणी के लिए घंटे (फरवरी-25 तक)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)			दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएनएल)		
मंडल/जिले	**आरडीएस (एचएच:एमएम)**	**शहरी (एचएच:एमएम)**	**मंडल**	**आरडीएस (एचएच:एमएम)**	**शहरी (एचएच:एमएम)**
पंचकुला	23:01	23:47	फरीदाबाद	22:17	23:27
अम्बाला	22:51	23:35	पलवल (पलवल और नूह जिला)	19:25	23:11
कुरूक्षेत्र	22:58	23:35	गुरूग्राम-I और गुरूग्राम-II (गुरूग्राम जिला)	23:19	23:37
कैथल	22:40	23:35		22:50	23:50
यमुनानगर	22:54	23:29	नारनौल (महेन्द्रगढ़ जिला)	19:30	23:27
करनाल	22:58	23:41	रेवाड़ी	23:17	23:31
पानीपत	22:35	23:21	भिवानी (भिवानी और चरखी दादरी जिला)	19:36	23:33
सोनीपत	21:29	23:24	हिसार	19:18	23:54
रोहतक	20:22	23:32	फ़तेहाबाद	19:05	23:20
झज्जर	20:41	23:29	सिरसा	22:51	23:34
			जींद	19:10	23:29
औसत	**22:15**	**23:33**	**औसत**	**20:58**	**23:32**

शहरी क्षेत्रों के लिए नोट: शहरी क्षेत्र में आपूर्ति का समय 24 घंटे है। तथापि रखरखाव, ब्रेकडाउन को ठीक करने और संवर्धन कार्य करने के लिए प्राप्त परमिट के कारण तालिका में दिए गए वास्तविक आपूर्ति घंटे थोड़े कम हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2377
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

2377. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा और विद्युत तथा प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रों को शामिल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत सरकार इन क्षेत्रों को कब तक शामिल कर लेगी;

(ग) क्या कोई अधिदेश प्राप्त कंपनी उक्त योजना में शामिल है और यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) में कमी लाने के लक्ष्य दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संबंध में जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को जून, 2023 में अधिसूचित किया गया था और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) की धारा 14 की उप-धारा (ब) के तहत दिसंबर, 2023 में संशोधित किया गया।

सीसीटीएस के अंतर्गत दो तंत्र हैं, नामत: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। वर्तमान में अनुपालन तंत्र में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लोहा और इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज तथा कपड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) : लगभग 795 दायित्वधारी संस्थाएं सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत किए जाने का अनुमान है। राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	दायित्वधारी संस्थाएं
आंध्र प्रदेश	41
असम	8
बिहार	5
छत्तीसगढ़	76
गोवा	5
गुजरात	101
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू कश्मीर	1
झारखंड	25
कर्नाटक	55
केरल	4
मध्य प्रदेश	33
महाराष्ट्र	48
मेघालय	10
ओडिशा	83
पंजाब	28
राजस्थान	70
तमिलनाडु	49
तेलंगाना	26
संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी	2
उत्तर प्रदेश	45
उत्तराखंड	7
पश्चिम बंगाल	47
कुल योग	**795**

(घ) और (ङ) : सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात् एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी एवं कागज तथा वस्त्र के लिए प्रति टन उत्पाद पर CO_2 के संदर्भ में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन संघनता लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(च) : सरकार ने सीसीटीएस के प्रशासन के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है। स्कीम के खर्चों को सीसीटीएस के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं से एकत्रित शुल्क और प्रभारों तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2401

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

2401. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (आईसीएम) शुरू करने के लिए क्या विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इसके कार्यान्वयन में कोई विलंब न हो;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विचार किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और योजना के विभिन्न चरणों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जा रहे निकायों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) यह रूपरेखा उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों की भागीदारी को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है और लघु तथा मध्यम उद्यमों पर असंगत रूप से भार डाले बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विकसित किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस), जो भारतीय कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है, को जून, 2023 में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (संशोधित) के तहत दिसंबर 2023 में संशोधित किया गया है। सीसीटीएस दो तंत्र अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र प्रदान करता है, । मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए मान्यता प्रक्रिया और पात्रता मानदंड पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रकाशित की गई है। ऑफसेट तंत्र के तहत विस्तृत प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। अनुपालन तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट का व्यापार वर्ष 2026-27 में शुरू होने की उम्मीद है।

(ख) : अनुपालन तंत्र में वर्तमान में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी एवं कागज तथा कपड़ा क्षेत्र शामिल हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्र ऊर्जा, उद्योग, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, वानिकी, परिवहन, फ़्यूजिटिव उत्सर्जन, निर्माण, विलायक उपयोग, कार्बन कैप्चर, CO2 का उपयोग एवं भंडारण तथा अन्य निष्कासन हैं।

(ग) : अनुमान है कि लगभग 795 बाध्यकारी संस्थाएँ सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	**बाध्य संस्थाएं**
आंध्र प्रदेश	41
असम	8
बिहार	5
छत्तीसगढ़	76

गोवा	5
गुजरात	101
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू कश्मीर	1
झारखंड	25
कर्नाटक	55
केरल	4
मध्य प्रदेश	33
महाराष्ट्र	48
मेघालय	10
ओडिशा	83
पंजाब	28
राजस्थान	70
तमिलनाडु	49
तेलंगाना	26
संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी	2
उत्तर प्रदेश	45
उत्तराखंड	7
पश्चिम बंगाल	47
कुल योग	**795**

(घ) : अनुपालन तंत्र के तहत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्य केवल उन बाध्य संस्थाओं को दिए जाते हैं जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निश्चित सीमा से अधिक है। अनुपालन तंत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्तमान ऊर्जा खपत सीमाएँ निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	**क्षेत्र**	**अंतिम सीमा (तेल समतुल्य टन)**
1	एल्युमिनियम	7500
2.1	सीमेंट (एकीकृत)	30000
2.2	सीमेंट (पीसने वाला)	10000
3	क्लोर - क्षार	7500
4	उर्वरक	30000
5	लोहा और इस्पात	20000
6	पेट्रोकेमिकल	100000
7	पेट्रोलियम रिफाइनरी	90000
8	लुगदी और कागज	7500
9	वस्त्र	3000

इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय, बाध्यकारी संस्थाओं की सुविधा में संभावित प्रौद्योगिकीय उपायों की सीमांत कटौती लागत को ध्यान में रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2431

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के तहत बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर को निधि का आवंटन

2431. श्री राजकुमार रोत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आवंटित और उपयोग की गई निधि का जिलावार और ब्लॉकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में विद्युत कनेक्शन से लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है; और

(ङ) बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, प्रयुक्त सामग्री तथा कम्पनियों के नाम, कार्यादेश तथा इसमें शामिल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। सौभाग्य के तहत संस्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान राजस्थान राज्य के 21,27,728 घरों सहित राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में विद्युतीकृत घरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	जिला	कुल
1	बांसवाड़ा	52390
2	चितौड़गढ़	6169
3	डूंगरपुर	34594
4	पाली	4762
5	प्रतापगढ़	36280
6	राजसमंद	724
7	सिरोही	8880
8	उदयपुर	121563
कुल		**265362**

(ख) : सौभाग्य स्कीम के तहत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी की गई निधियों के उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में निधियाँ जारी की गईं थी। इसके अलावा, सौभाग्य स्कीम को डिस्कॉम-वार संस्वीकृत किया गया और संस्वीकृत कार्य के लिए संबंधित डिस्कॉम को निधियाँ जारी की गईं। राज्य द्वारा दी गई सूचना अनुसार, बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में निधि आवंटन का जिलावार और ब्लॉक-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि सौभाग्य के तहत निधियाँ समग्र रूप से एवीवीएनएल डिस्कॉम को जारी की गईं थी।

(घ) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और सौभाग्य जैसी स्कीमों के तहत राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, जिसके तहत 1.26 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्य किए गए। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गए हैं।

(ङ) भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र की प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में संस्वीकृत परियोजनाओं में हानि कम करने के अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्य शामिल हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. हानि कम करने के कार्य:

1. बांसवाड़ा जिले के लिए संस्वीकृत लागत-164.04 करोड़ रुपये (जीबीएस: 98.42 करोड़ रुपये)
2. डूंगरपुर जिले के लिए संस्वीकृत लागत-319.12 करोड़ रुपये (जीबीएस: 191.47 करोड़ रुपये)।

क्र. सं	विवरण	मापन की इकाई	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा डूंगरपुर
			संस्वीकृत मात्रा	
1	नए सब स्टेशन	संख्या	2	1
2	सबस्टेशन का विस्तार	संख्या	1	1
3	एचटी लाइन	सीकेएम	2019.44	5441.83
4	एचटी लाइनों का प्रतिस्थापन	सीकेएम	280.44	104.09
5	एलटी लाइन	सीकेएम	680.00	1,156.44
6	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	148	1,058
7	कृषि फीडरों का पृथक्करण	संख्या	157	320
8	घरों का विद्युतीकरण	संख्या	14990	4189
अनुबंधित एजेंसी का नाम			मेसर्स हितेश इलेक्ट्रिकल्स जेवी विद न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक प्राइवेट लिमिटेड।	मेसर्स पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, मेसर्स एस्पन इंफ्रा लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम।

ख. स्मार्ट मीटरिंग कार्य:

1. बांसवाड़ा जिले के लिए संस्वीकृत लागत-200.55 करोड़ रुपये (जीबीएस: 30.08 करोड़ रुपये)
2. डूंगरपुर जिले के लिए संस्वीकृत लागत-241.60 करोड़ रुपये (जीबीएस: 36.24 करोड़ रुपये)।

क्र.सं	विवरण	मापन की इकाई	बांसवाड़ा	डूंगरपुर
			संस्वीकृत मात्रा	
1	उपभोक्ता मीटर	संख्या	3,13,150	3,65,340
2	फीडर मीटर	संख्या	505	446
3	डीटी मीटर	संख्या	4,585	8,918
अनुबंधित एजेंसी का नाम			मेसर्स जीनस पावर इंफ्रा लिमिटेड	

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2443
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

2443. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास आम नागरिकों के लिए बिजली सस्ती बनाने हेतु विद्युत शुल्कों को विनियमित करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश की स्रोतवार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण (दिनांक 31.01.2025 तक) **अनुबंध** पर दिया गया है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) की हिस्सेदारी 45.5% है।

(ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती आ रही है। ये स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं। इन स्कीमों के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थित और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के तहत पात्र वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वितरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और

स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे सभी घरों के विद्युतीकरण का समर्थन कर रही है। गैर-विद्युतीकृत घरों की पहचान करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है। 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे घरों, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिह्नित जनजातीय घरों और सार्वजनिक स्थानों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे तक सुधर गए हैं।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत की खुदरा आपूर्ति शुल्क तय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आती है। टैरिफ नीति टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है। विद्युत की खुदरा आपूर्ति शुल्क विद्युत क्रय लागत और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के अन्य प्रचालन और वित्तीय मापदंडों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और यह पूरे देश में डिस्कॉम के अनुसार अलग-अलग होता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2443

अनुबंध

देश की स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण (दिनांक 31.01.2025 तक):

श्रेणी				**संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)**	**कुल में % हिस्सा**
जीवाश्म ईंधन	कोयला			2,13,873	45.9%
	लिग्नाइट			6,620	1.4%
	गैस			24,818	5.3%
	डीज़ल			589	0.1%
	कुल जीवाश्म ईंधन :			2,45,900	52.7%
गैर-जीवाश्म ईंधन	**नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस)**			**2,12,170**	**45.5%**
		हाइड्रो	46,968		10.1%
		पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	1,65,202		35.4%
		पवन	48,365		10.4%
		सौर	1,00,330		21.5%
		जैव ऊर्जा	10,743		2.3%
		अपशिष्ट से ऊर्जा	663		0.1%
		लघु जल विद्युत	5,101		1.1%
	परमाणु			8,180	1.8%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन :			2,20,350	47.3%
	कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन)			4,66,251	100%

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2461

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इटावा और फतेहपुर में विद्युतीकरण कार्य

2461. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल:
श्री जितेंद्र दोहरे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में अब तक किए गए विद्युतीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार, नए कनेक्शन प्रदान करने, ट्रांसफार्मर लगाने और उच्च/निम्न-तनाव वाली लाइनों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त जिलों में अब तक विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है;

(घ) उक्त गांवों के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कार्यों के लिए अब तक स्वीकृत और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और अन्य बिजली आपूर्ति मुद्दों के समाधान के लिए कोई नई योजना लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती आ रही है। ये स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं। इन स्कीमों के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई। राष्ट्रीय स्तर और इटावा और फतेहपुर जिलों में डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत किए गए अवसंरचना कार्यों और परियोजना लागत का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के तहत उत्तर प्रदेश के 1498 गांवों सहित कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में

कोई भी गांव गैर-विद्युतीकृत नहीं पाया गया। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इटावा जिले और फतेहपुर जिले में चिह्नित सभी 692 गांवों और 1552 गांवों को पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है।

सौभाग्य स्कीम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 91,80,571 घर शामिल हैं। सौभाग्य स्कीम के दौरान फतेहपुर और इटावा जिलों में क्रमशः 1,06,185 घरों और 49,892 घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। वितरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, भारत सरकार सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सहायता कर रही है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिह्नित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संभव पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। अब तक, राष्ट्रीय स्तर पर 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। इटावा और फतेहपुर जिलों के लिए आरडीएसएस के तहत क्रमशः 2.42 करोड़ रुपये की लागत से 625 घरों और 10.28 करोड़ रुपये की लागत से 3,920 घरों के विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत किए जा रहे विद्युतीकरण कार्यों का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

आरडीएसएस के तहत निधियों की जिलेवार संस्वीकृति को सहमति प्रदान की गई है। तथापि, निधि वितरण दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि डिस्कॉमवार जारी की गई है। इटावा और फतेहपुर जिलों के लिए संस्वीकृत निधि और डिस्कॉम स्तर पर निधि के उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

जिला/डिस्कॉम	**संस्वीकृत लागत (स्मार्ट मीटरिंग की लागत सहित)**	**संस्वीकृत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)**
फ़तेहपुर	637.99	264.00
इटावा	298.5	121.82
पीयूवीवीएनएल	11828.63	4669.05
डीवीवीएनएल	7655.54	2948.91

(करोड़ रुपये में)

डिस्कॉम	**जीबीएस (हानि न्यूनीकरण (एलआर), स्मार्ट मीटरिंग (एसएम) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभार) संस्वीकृत**	**जीबीएस उपयोग**
पीयूवीवीएनएल	4789.88	1,060.68
डीवीवीएनएल	3048.49	935.78

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2461

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई (ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्कीम) और सौभाग्य के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

क्र. सं.	प्रमुख घटक	यूनिट	राष्ट्रीय स्तर	इटावा जिला	फतेहपुर जिला
	परियोजना लागत (डीडीयूजीजेवाई)	करोड़ रुपए	1.16 लाख	214.67	206.5
1	सब-स्टेशन (संवर्द्धन सहित)	सं.	4,289	12	47
2	वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	6,36,309	4,225	5,143
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	1.139 लाख	969.42	00
4	एचटी और एलटी लाइनें	सीकेएम	8 लाख	2,819.96	4,453.22
5	उपभोक्ता मीटर, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर, फीडर मीटर	सं.	1,90,41,387	1,959	58,364

* सौभाग्य के अंतर्गत राज्य विद्युत कम्पनियों को निधियाँ जारी कर दी गई है तथा निधियाँ घरों की वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी की गई है तथा निधियों का जिलावार आवंटन नहीं किया गया है।

सौभाग्य के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजना लागत का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

डिस्कॉम	पूर्ण परियोजना लागत
पीयूवीवीएनएल	1,058.15
डीवीवीएनएल	554.46

आईपीडीएस (शहरी क्षेत्र के लिए स्कीम) के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

क्र. सं.	प्रमुख घटक	यूनिट	राष्ट्रीय स्तर	ईडीसी इटावा	ईडीसी फतेहपुर
	परियोजना लागत	करोड़ रुपये	58,805	50.13	31.85
1	नया सब-स्टेशन	सं.	994	1	1
2	सब-स्टेशन का विस्तार	सं.	1,609	2	5
3	एचटी और एलटी लाइनें	सीकेएम	33,884	157.42	42.57
4	नए वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	59,993	187	57

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2461

अनुबंध-II

इटावा जिले में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य निम्नानुसार हैं:

प्रमुख घटक	**संस्वीकृत मद (सं.)**	**संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)**
उपभोक्ता मीटरिंग	1,72,387	103.43
डीटी मीटरिंग	9,958	22.9
फीडर मीटरिंग	231	0.97
कुल	**1,82,576**	**127.31**

प्रमुख घटक	**संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)**
केबलिंग कार्य	155.31
फीडर पृथक्करण/विभाजन	14.05
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	1.83
कुल	**171.2**

फतेहपुर जिले में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य निम्नानुसार हैं:

प्रमुख घटक	**संस्वीकृत मद (सं.)**	**संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)**
उपभोक्ता मीटरिंग	3,37,356	202.41
डीटी मीटरिंग	26,352	60.61
फीडर मीटरिंग	229	0.96
कुल	**3,63,937**	**263.99**

प्रमुख घटक	**स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)**
केबलिंग कार्य	40.00
एलटी लाइन की रीकंडक्टरिंग/संवर्धन	128.36
11 या 22 केवी लाइन की रीकंडक्टरिंग/संवर्धन	19.74
33 या 66 केवी लाइन की रीकंडक्टरिंग/संवर्धन	10.13
कैपेसिटर बैंक	0.85
फीडर पृथक्करण/विभाजन	159.27
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	15.64
कुल	**374.00**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2501
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली कंपनियों के घाटे में बढ़ोतरी

2501. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बिजली कंपनियों का कुल घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.4 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए बिजली उत्पादन में सुधार, पारेषण और वितरण घाटे को कम करने और बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं, यदि हां, तो बिजली कंपनियों के घाटे के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हाँ। 'राज्य वित्त - वर्ष 2024-25 के बजट का अध्ययन' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट में बताया गया है कि विद्युत वितरण कंपनियों की कुल संचित हानियां वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) हो गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों में वृद्धि का मुख्य कारण ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) का कार्यान्वयन न करना था। विद्युत वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों के अन्य प्रमुख कारणों में टैरिफ आदेश जारी करने में देरी, खराब बिलिंग और संग्रह क्षमता, राज्य सरकार के विभागों/स्थानीय निकायों के बिजली बकाया की कम वसूली और टैरिफ सब्सिडी शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विद्युत वितरण यूटिलिटी का राज्यवार संचित अधिशेष/(हानि) **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण यूटिलिटी को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए समर्थन दे रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

i. यह कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत निकासी सुनिश्चित करने के लिए पारित की जाएं। ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं।

ii. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

iii. वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति को राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जोड़ा गया है।

iv. यदि वितरण यूटिलिटी हानि कम करने के उपाय लागू करती है तो राज्य को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है।

v. निर्धारित मापदंडों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्तीय वर्ष 2021 में ~22% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में ~16.28% हो गई है और इसी अवधि के दौरान आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व के बीच का अंतर (एसीएस-एआरआर गैप) 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2501

अनुबंध

विद्युत वितरण यूटिलिटी का संचित अधिशेष/(हानि)

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

राज्य/डिस्कॉम	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	**(29,218)**	**(29,210)**
एपीसीपीडीसीएल	(9,726)	(9,695)
एपीईपीडीसीएल	(6,911)	(6,936)
एपीएसपीडीसीएल	(12,581)	(12,580)
असम	**(1,699)**	**(1,324)**
एपीडीसीएल	(1,699)	(1,324)
बिहार	**(19,777)**	**(18,503)**
एनबीपीडीसीएल	(7,367)	(6,261)
एसबीपीडीसीएल	(12,411)	(12,242)
छत्तीसगढ़	**(10,057)**	**(10,016)**
सीएसपीडीसीएल	(10,057)	(10,016)
गुजरात	**935**	**5,165**
डीजीवीसीएल	546	1,504
एमजीवीसीएल	418	885
पीजीवीसीएल	(300)	1,491
यूजीवीसीएल	272	1,285
हरियाणा	**(28,165)**	**(28,001)**
डीएचबीवीएन	(13,194)	(13,071)
यूएचबीवीएन	(14,971)	(14,929)
हिमाचल प्रदेश	**(3,126)**	**(3,754)**
एचपीएसईबीएल	(3,126)	(3,754)
झारखंड	**(15,848)**	**(18,469)**
जेबीवीएनएल	(15,848)	(18,469)
कर्नाटक	**(17,559)**	**(26,109)**
बेसकॉम	(4,480)	(8,343)
चेसकॉम	(2,686)	(3,033)
गेसकॉम	(3,398)	(4,894)
हेसकॉम	(7,258)	(9,898)
मेसकॉम	263	59
केरल	**(34,668)**	**(35,978)**
केएसईबीएल	(34,668)	(35,978)
मध्य प्रदेश	**(65,291)**	**(69,301)**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(27,110)	(29,124)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(13,107)	(13,233)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(25,073)	(26,944)
महाराष्ट्र	**(31,275)**	**(36,226)**
एमएसईडीसीएल	(31,275)	(36,226)
मणिपुर	**(286)**	**(295)**
एमएसपीडीसीएल	(286)	(295)
मेघालय	**(4,259)**	**(4,634)**
एमईपीडीसीएल	(4,259)	(4,634)
पंजाब	**(10,420)**	**(9,620)**

पीएसपीसीएल	(10,420)	(9,620)
राजस्थान	**(92,070)**	**(91,565)**
एवीवीएनएल	(28,263)	(27,438)
जेडीवीवीएनएल	(34,488)	(34,781)
जेवीवीएनएल	(29,318)	(29,345)
तमिलनाडु	**(1,62,507)**	**(1,66,944)**
टेनजेनको	(1,62,507)	(1,66,944)
तेलंगाना	**(60,922)**	**(67,276)**
टीएसएनपीडीसीएल	(18,593)	(20,037)
टीएसएसपीडीसीएल	(42,330)	(47,239)
त्रिपुरा	**(854)**	**(1,171)**
टीएसईसीएल	(854)	(1,171)
उत्तर प्रदेश	**(82,556)**	**(89,662)**
डीवीवीएनएल	(28,398)	(30,666)
केस्को	(4,187)	(4,733)
एमवीवीएनएल	(20,345)	(21,715)
पीएवीवीएनएल	(10,508)	(9,652)
पीयूवीवीएनएल	(19,119)	(22,896)
उत्तराखंड	**(5,096)**	**(5,435)**
यूपीसीएल	(5,096)	(5,435)
पश्चिम बंगाल	**119**	**158**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	119	158
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप	**103**	
डीएनएचपीडीसीएल		
डीएनएचडीडीपीडीसीएल	103	
दिल्ली	**11,591**	**12,893**
बीआरपीएल	5,244	6,089
बीवाईपीएल	3,094	3,476
टीपीडीडीएल	3,253	3,328
गुजरात	**4,018**	
टोरंट पावर अहमदाबाद	3,426	
टोरंट पावर सूरत	592	
महाराष्ट्र	**1,580**	**561**
एईएमएल	1,580	561
ओडिशा	**517**	**824**
टीपीएनओडीएल	190	323
टीपीएसओडीएल	124	161
टीपीडब्ल्यूओडीएल	154	229
टीपीसीओडीएल	49	112
उत्तर प्रदेश	**1,293**	**1,426**
एनपीसीएल	1,293	1,426
पश्चिम बंगाल	**9,770**	**197**
सीईएससी	9,491	
आईपीसीएल	279	197
कुल योग	**(6,45,728)**	**(6,92,269)**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2529
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

2529. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएमएम) के अंतर्गत तृतीय पक्ष की संपरीक्षा के माध्यम से नए ट्रांसफार्मरों, ग्रिडों और लाइनों के निर्माण की निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत तीसरे पक्ष से परीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और पारदर्शी तरीके से उनका चयन करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ग) क्या नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मरों और ग्रिडों से संबंधित प्रक्रिया में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी, हाँ। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत समवर्ती गुणवत्ता निगरानी के लिए एक तंत्र है, जिसे नोडल एजेंसियों अर्थात् आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो डिस्कॉम द्वारा अपनाई जाने वाली गुणवत्ता जांच और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त है।

वितरण अवसंरचना कार्यों (नए ट्रांसफार्मर, एचटी/एलटी लाइन, बिजली सबस्टेशन आदि सहित) के लिए टीपीक्यूएमए के माध्यम से नोडल एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों को आरडीएसएस की निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियां (i) सामग्री निरीक्षण और (ii) क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ख) : आरडीएसएस की तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी के लिए नियुक्त एजेंसियों का विवरण **अनुबंध** पर है। इन एजेंसियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर ई-टेंडरिंग मोड में आयोजित एकल-चरण दो-भाग बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) : जां हां, विद्युत मंत्रालय ने भारत सरकार की स्कीमों के अनुसार जिले में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय के लिए दिनांक 16.09.2021 को "जिला विद्युत समिति" (डीईसी) का गठन किया है। डीईसी की संरचना में संसद सदस्य (एमपी), विधान सभा सदस्य (एमएलए), जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष/अध्यक्ष और संबंधित जिले में स्थित विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके नामित अधिकारी और वितरण कंपनी (डिस्कॉम)/विद्युत विभाग (पीडी) के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। राज्यों को नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2529

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों की सूची

टीपीक्यूएमए एजेंसी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके लिए टीपीक्यूएमए नियुक्त किया गया है**
मेसर्स वैपकोस लिमिटेड	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी
मेसर्स राइट्स लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल
नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट	तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर
मेसर्स वॉयंट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड, गुजरात हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़
मेसर्स मर्कडोस एनर्जी मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
एन आर्क कंसल्टिंग एंगप्लस प्राइवेट लिमिटेड	बिहार, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम

****